

फैक्स

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया ।

पटना, दिनांक...04/09/15

विषय:- खगड़िया जिला के लिए अपर लोक अभियोजको की नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1052/विधि, दिनांक-16.07.2013 के प्रसंग में निदेशानुसार संसूचित करना है कि राज्य सरकार ने निम्नलिखित अधिवक्ताओं को खगड़िया जिला के लिए अपर लोक अभियोजक नियुक्ति करते हुए नया पैनल गठित की कृपा की है :-

क्रम सं०	अधिवक्ताओं का नाम	पंजीयन संख्या
1.	श्री अजय कुमार सिंह	1963/95
2.	श्री मदन कुमार सिन्हा	49/86
3.	श्री दुर्गेश्वर प्रसाद सिंह	564/64
4.	श्री महेश कुमार सिंह,	6910/96
5.	श्री राजीव कुमार	2713/01
6.	श्री मो० मुख्तार आलम	267/95
7.	श्रीमती रजनी कुमारी	3828/99
8.	श्री नरेश दास	1082/01
9.	श्री देवेन्द्र प्रसाद देव	661/85
10.	श्री सुरेश प्रसाद यादव	29/75
11.	श्री जनार्दन प्रसाद यादव	1894/69

2. उक्त पैनल की कालावधि तीन वर्षों की होगी। अतएव अनुरोध है कि तीन वर्षों की अवधि पूरा होने के चार माह पूर्व ही नये पैनल का पूर्णगठन करा लिया जाय।

3. इस आदेश के निर्गत होने के पश्चात् पुराना पैनल स्वतः समाप्त समझा जायेगा। उक्त पैनल अधिवक्ता के सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क ही देय होगा। तथा अन्य पदों पर नियुक्त होकर कार्य करने पर ~~एक~~ एक ही दैनिक शुल्क देय होगा।

4. इस शर्त के साथ की गई है कि सहायक अभियोजन पदाधिकारी से अपर लोक अभियोजक के सभी शेष 10 पदों पर में सामान्य प्रोन्नति होने की तिथि से नीचे से नियुक्त अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

विश्वासभाजन



(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:-...5678/जे०, पटना, दिनांक:-...04/09/15..

प्रतिलिपि:-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।



(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:-...5678/जे०, पटना, दिनांक:-...04/09/15..

प्रतिलिपि:-माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।



(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।